[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 12 /2019-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी, 2019

सा.का.नि. ..... (अ)- जहां कि मलेशिया (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "टैक्सचर्ड टेम्पर्ड कोटेड और अनकोटेड ग्लास, जिसका ट्रासंमिशन कम से कम 90.5% हो और जिसकी मोटाई 4.2 एमएम (0.2 एमएम सहिष्णुता समेत) से अधिक न हो और जिसका कम से कम एक आयाम 1500 एमएम से अधिक हो, चाहें ये कोटेड हों अथवा अनकोटेड" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) और जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम**,** 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है)**,** की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 7007 19 00 या 7007 21 90 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्ष में, जिसे फा.सं.6/45/2017/डीजीएडी, दिनांक 17 जनवरी, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि विषयगत वस्तु का विषयगत देश से सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर आयात किया गया है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है और यह क्षति जांच की अवधि के दौरान विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं से फालतू आयात के कारण हुई है और उन्होंने इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अत:, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट अधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तुओं, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि नीचे सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित, जो कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट उत्पादकों के द्वारा उत्पादित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

तालिका

क्रम सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादक देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	70071900 और	टैक्सचर्ड टफेंड (टेम्पर्ड) ग्लास अर्थात टैक्सचर्ड	मलेशिया	चीन से भिन्न	मैसर्स झिंगयी	शून्य	अमेरिकी डॉलर/

	70072190	टफेंड (टेम्पर्ड) ग्लास ट्रांसमिशन कम से कम 90.5% हो और जिसकी मोटाई 4.2 एमएम (0.2 एमएम की सहिष्णुता समेत) से अधिक न हो और जिसका कम से कम एक आयाम 1500 एमएम से अधिक हो, चाहें ये कोटेड हों अथवा अनकोटेड		कोई भी देश	सोलर एसडीएन. बीएचडी, मलेशिया		मैट्रिक टन
2.	70071900 या 70072190	-तदैव-	मलेशिया	चीन से भिन्न कोई भी देश	मैसर्स झिंगयी सोलर एसडीएन. बीएचडी, मलेशिया से भिन्न अन्य कोई भी उत्पादक	114.58	अमेरिकी डॉलर/ मैट्रिक टन
3.	70071900 या 70072190	-तदैव-	मलेशिया और चीन से भिन्न अन्य कोई भी देश	मलेशिया	कोई भी	114.58	अमेरिकी डॉलर/ मैट्रिक टन

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

(फाइल संख्या 354/30/2019-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार